प्रकरण संख्या 29/2018 भगवानलाल के बजाय श्रीमती सोहनी देवी बनाम रूपलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.08.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट मृतक भगवानलाल 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांगवा, तहसील मावली में प्रार्थी के पिता भैरूलाल वल्द धनराज लोहार के खातेदी की आराजी नंबर 921/1 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल नंबर 589 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा हैं, जिस पर प्रार्थी का अपने पिता के समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। विवपक्षीगण का उक्त आराजी में किसी प्रकार का हित अधिकार नहीं होते हुए भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। विपक्षी संख्या 1 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता भैरूलाल जी द्वारा विवादित आराजी जेता पिता केरा डांगी को रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 29.08.1962 की गयी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 642 दर्ज हुआ, लेकिन भूलवश आराजी नंबर 921/1 के बजाय 921/2 अंकित हो गया, जबकि जो पड़ोस अंकित किये गये हैं, वह आराजी नंबर 921/1 के हैं। वादग्रस्त आराजी जेता के खातेदार हक व कब्जे की होने से जेता द्वारा दिनांक 08.06.1998 को विपक्षी संख्या 1 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया गया। प्रार्थी जब तक रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 29.08.1962 को सक्षम सिविल न्यायालय ने निरस्त नहीं करवा लेता तब तक प्रार्थी इस न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 26.03.2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों से कब्जा अपीलान्ट का साबित होते हुए	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त भूमि पर रेस्पोन्डेन्टगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा, बल्कि अपीलान्ट ने 40-50 वर्षों से उक्त भूमि पर मवेशीघर बना रखा है तथा काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं मानकर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना कि इस भूमि के पूर्व खातेदार प्रार्थी के पिता भैरूलाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय जेता के पक्ष में किया है, किन्तु सहवन से विक्रय पत्र में आराजी नंबर 921/1 के बजाय 921/2 अंकित हो गया है, जबकि पड़ोस एवं रकबा सही है। तत्पश्चात् जेता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है, जिसके आधार पर विपक्षी संख्या 1 मौके पर काबिज है। ऐसी विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में है। उक्त आधार पर सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं मानते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में मानकर प्रार्थी/अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 37/2007 निर्णय 26.03.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]पसिंह सांगावत)
[illegible] अधिकारी
एवं [illegible] राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर